

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा - पत्र

उन्वान

मोहनलाल

बनाम

नंदकुंवर

किस्म मुकदमा

धारा-223

मि. नं.


2021/87

सन

अभिभाषक अपीलान्त

श्री नन्दपुत्रा स्वर्णदेववाल

अभिभाषक रैस्पोंडेन्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04-07-22	<p>पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी द्वारा सज्य काय व 2233 ह. पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22-08-22 को पेश हो।</p> <p>श्री नन्दपुत्रा स्वर्णदेववाल</p> <p>भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज.)</p>	22-08-22
22-08-22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्वीकृत। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 29-08-22 को पेश हो।</p> <p>श्री अनुष्मा देलर</p> <p>भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज.)</p>	<p>29-08-22</p> <p>29-08-22</p>
29-08-22	<p>पत्रावली पेश हुई। अतिरिक्त अपीलान्त को रक-रक कर तीन बार आवाजें लगवाई गईं। फिर भी अपीलान्त गण व अतिरिक्त अपीलान्त उपस्थित नहीं हुये। अतिरिक्त अपीलान्त द्वारा रैस्पोंडेन्ट गण की तामील प्रारिपु रजि. र. डी. आदिनांक तक नहीं करवाई गई है। अतः पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पेशी में स्वीकृत की जाती है। पत्रावली पेशल बामार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p>श्री अनुष्मा देलर</p> <p>भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा</p>	

8. दीनदयाल पुत्र बदीलाल जाति ब्राह्मण
9. रुकमणी बेवा बदीलाल जाति ब्राह्मण
10. हेमलता पुत्री बदीलाल जाति ब्राह्मण
11. अवन्तिका पुत्री बदीलाल जाति ब्राह्मण
निवासी रामद्वारा अकलेरा जिला झालावाड
12. श्रद्धा पुत्री पुरुषोत्तम जाति ब्राह्मण निवासी गायत्री मन्दिर के पास झालावाड
13. कमलेश बेवा पुरुषोत्तम जाति ब्राह्मण निवासी गायत्री मन्दिर के पास झालावाड
14. युगल किशोर पुत्र गंगाराम जाति ब्राह्मण निवासी पुरानी जैल के पीछे निर्मल
मोन्टेन्सरी स्कूल के पास झालावाड
15. भूमि अवाप्ति अधिकारी जल संसाधन वृत्त झालावाड
16. राजस्थान सरकार जर्गे तहसीलदार अकलेरा जिला झालावाड
17. शाखा प्रबन्धक सिन्डीकेट बैंक झालरापाटन जिला झालावाड

— रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री (काउन्टर क्लेम) दिनांक 10.07.19

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अकलेरा

प्रकरण संख्या 133/40/दावा/16

बउनवान नन्द कुंवर बनाम गंगाराम

अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

मान्यवर,

अपीलान्त निम्न निवेदन करता है:-

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 12.11.16 एवं फाईनल डिक्री दिनांक 11.02.17 को जारी की गयी थी , रेस्पोडेन्ट जुगल किशोर द्वारा माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी , माननीय न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.10.17 से प्रारम्भिक डिक्री एवं फाईनल डिक्री को निरस्त करते हुये प्रकरण को रिमान्ड किया गया था कि निर्णय के पेशा क्रम 12 के विवेचन अनुसार मृतक मोतीलाल के विधिक वारिसान घोषित


14/6/21